न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025/239)

प्रकरण संख्या:–144/2025
तारीख दायर:–12/12/2025
निर्णय दिनांक:–06/01/2026

उनवान

1. मोहनसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपुत निवासी बिलाखी ग्राम पंचायत आंजना तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द ।

प्रार्थी।

बनाम

1. दीपा पिता गुलाब सालवी जाति सालवी निवासी बिलाखी पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द व अन्य।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिलाखी ग्राम पंचायत आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 103 आराजी संख्या 205, 206, 212, 214, 215, 53 कुल किता 06 कुल रकबा 2.4500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण संख्या की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 09 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

प्रार्थी अधिवक्त की एकतरफा बहस सूनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी ,देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

—:आदेश:—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा बिलाखी ग्राम पंचायत आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 103 आराजी संख्या 205, 206, 212, 214, 215, 53 कुल किता 06 कुल रकबा 2.4500 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण / पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी / सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द